

अनुमंडल कार्यालय सदर, भागलपुर

(आपूर्ति शास्त्रा)



आदेश

प्रखंड आपूर्ति गदाधिकारी, शाहकुण्ड के पंत्रोक—108 विनांक—09.03.2024 के माध्यम से अपने क्षेत्रान्तर्गत बार--वार निर्देशित किये जाने के बावजूद 3339 राशनकार्ड में अकित सदस्यों द्वारा आधार सीडिंग नहीं कराने के फलस्वरूप संबंधित राशनकार्ड से आधारविद्वीन सदस्यों का नाम

विलोपित करने की अनुशंसा की गई है।
अंतएवं तपरोक्त के आलोक में आदेश के साथ शंलग्न सूची के अनुरूप यथा - शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत 3339 राशनकार्ड में शन्तिहित आधारविहीन रादस्यों (BLANK UNIT) को SUOMOTO DELETION हेतु अनुगति प्रदान की जाती है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शाहकुण्ड को निदेश दिया जाता है कि अपनी निगरानी में संबंधित कार्यगालक सहायक से ONLINE DELETION कार्य पूर्ण कराना सनिश्यित करेंगे।

> हुत्(< अनुमंडल पदाधिकारी सदर, भागलपुर।

ज्ञापांक :-13-25(ix) / 2023-776 / आठ दिनांक :- 10 / 02/2024 प्रतिहिपि :- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शाहकुण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिसिपि :- संबंधित कार्यपालक सहायक, प्रखंड शाहकुण्ड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

> अनुगंडल पदाधिकारी सदर, भागलपुर।